

समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

केम्प जबलपुर A-875-217

निगरानी/अपील क्रमांक /2017

प्रस्तुत दिनांक 21.2.2017

1. वीरेश्वर सिंह यादव आत्मज स्व. लीलाधर सिंह यादव  
निवासी-372 गोहलपुर, जबलपुर

2. हीरालाल यादव आत्मज स्व. फूलचंद यादव  
निवासी-उत्तर मिलौगंज, गोहलपुर, जबलपुर

---आवेदक/अपीलार्थीगण

विरुद्ध

श्री विजय चतुर्वेदी आत्मज स्व. कौशल प्रसाद चतुर्वेदी  
निवासी-222/2 दक्षिण मिलौनीगंज, जमुनिया कुआँ  
थाना गोहलपुर, जबलपुर

2. श्री तुलसीराम यादव आत्मज स्व. मूलचंद यादव  
निवासी-म.नं. 24 उत्तर मिलौनीगंज, गोहलपुर, जबलपुर

3. श्रीमति श्यामा बाई बेवा स्व. गोविन्द प्रसाद यादव  
निवासी-म.नं. 24 उत्तर मिलौनीगंज, गोहलपुर, जबलपुर

---अनावेदक/प्रत्यर्थीगण

माननीय राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी/अपील म.प्र.भू राजस्व

संहिता 1959 की धारा 44(6) के अंतर्गत प्रस्तुत

1. अपील कारण - न्यायालय श्रीमान आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा अपील प्रकरण क. 1238/अ-6/2012-2013 में पारित आदेश दिनांक 6.10.2016. (दस्तावेज क्र.1 मूल प्रति संलग्न है एवं अनुविभागीय न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण क्र.13 अ-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 22.8.13 की मूल प्रति दस्तावेज क.2 संलग्न है ।)

2. क्षेत्राधिकार- माननीय राजस्व मंडल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... A. 875-2.17..... जिला जामशेरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/2/18	<p>कॉलेज की डोर में कोछे. पं. श्रीमती. शर्मा उषा. उनके द्वारा कॉलेज प्रभुता किया कि वे प्रयोग के जोर लगी को चालने हैं. इस प्रयोग समाप्त किया जाये. कॉलेज कोछे का निवेदन किया जा रहा है पर प्रयोग अभी समाप्त नमाने किया जाना है</p> <p style="text-align: right;">यश. शर्मा</p>	<p>1/2 Pruss          कोछे.          श्रीमती. शर्मा          (A.P.P.)          28/2/18</p>